

कार्यकारीणी सारांश

1.0 परिचय

विडियोकॉन समूह द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ पावर वेंचर्स प्रा.लि. द्वारा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में जांजगीर-चंपा जिला के गौड़ गाँव में 2 x 600 मेगावाट) थर्मल पावर परियोजना का प्रस्ताव है। यह कोयला आधारित परियोजना दो ऊष्म भाप टरबाइन जनरेटर से जुड़ी है। तथा सभी प्रकार के आवश्यक भाप टरबाइन मिलकर मिश्रित, गरम और पुनर्योजी, संघनक, एच. पी., आई.पी और एल.पी. आवरण, सीधे जनरेटर के साथ युग्मित बहु सिलंडर डिजाइन आंतरिक स्थापना के लिए उपयोग में लाये जायेंगे। प्रस्तावित संयंत्र को एक बेस स्टेशन के रूप में लोड संचालित बनाया जायेगा।

2.0 परियोजना विवरण

2.1 स्थान और संचार

योजना जांजगीर चंपा जिले के गौड़ गाँव में प्रस्तावित है, जो कि निकटतम रेलवे स्टेशन नैला से लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर है। चंपा शहर परियोजना स्थल से 25 कि.मी. की दूरी पर है। परियोजना स्थल राज्यमार्ग तथा हसदेव नदी के पास स्थित है। राष्ट्रीय मार्ग NH-200 परियोजना स्थल से लगभग 15 कि.मी. की दूरी पर है।

प्रस्तावित परियोजना स्थल समन्वय $21^{\circ}56'48''$ से $21^{\circ}57'16''$ उत्तरी आक्षांश और $82^{\circ}39'56''$ से $82^{\circ}40'38''$ पूर्व देशान्तर क्रमशः है।

प्रस्तावित फ्लॉई ऐश पॉन्ड निर्देशांक $21^{\circ}56'03''$ से $21^{\circ}57'03''$ उत्तरी अक्षांश और $82^{\circ}39'29''$ से $82^{\circ}40'38''$ पूर्व देशान्तर पर है।

2.2 भूमि की आवश्यकता

परियोजना की स्थापन के लिए 960 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। जिसमें बिजली संयंत्र और सभी संबंधित गतिविधियाँ सम्मिलीत हैं। नीचे दी गयी तालिका में भूमि का विवरण दर्शाया गया है।

टेबल 1.1
भूमि का विवरण

क्र.	वर्णन	भूमि क्षेत्र (एकड़.)
1	पावर प्लांट और बीओपी बिल्डींग के साथ आदि	350
2	कोयला संग्रहण	20
3	400 किलो वोल्ट स्विचबार्ड	30
4	जलाशय	100
5	हरितपट्टी	150
6	कोयला कन्वेयर प्रणाली	80
7	आपातकालीन फ्लॉई ऐश पॉन्ड	200
8	आवासीय कालोनी आदि	30
	कुल	960 एकड़.

2.3 कोयले की आवश्यकता एवं उपलब्धता और संपर्क

प्रस्तावित परियोजना के लिए कोयले की आवश्यकता 66 लाख टन प्रति वर्ष है। इसमें कोयले की खानों से संयंत्र स्थल तक के परिवहन के दौरान 0.8 प्रतिशत कोयले की हानि भी शामिल है। प्रस्तावित परियोजना के लिए एस.ई.सी.एल एम.सी.एल से कोयला अधिप्राप्त किया जायेगा। परियोजना के लिए कोयले की गुणवत्ता निम्नानुसार आँकी गयी है।

टेबल 1.2
कोयले की गुणवत्ता

कुल नमी	16 %
ऐश	44 %
सल्फर सामग्री	0.4%
सकल कैलोरी मान	3000 किलो कैलोरी / प्रति किलोग्राम

2.4 जल की आवश्यकता

प्रस्तावित 2×600 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र के लिए 86400 घन मीटर प्रति दिन मेक-अप पानी की आवश्यकता होगी। इसमें क्लोस सर्किट रिस्क्यूलेशन वाले कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जायेगा, जिसमें इन्डयुस्ट्रियल कूलिंग टॉवर प्रणाली उपयोग में लायी जायेगी। इसमें स्टीम जनरेटर, पीने का पानी, सर्विस पानी और अन्य जल जैसे कि संयंत्र, कॉलोनी का समावेश होगा। इस परियोजना में प्रतिवर्ष 350 लाख घन मीटर पानी महानदी से लिया जायेगा।

2.5 ईधन की आवश्यकताएँ

LDO का उपयोग धिमी शुरूवात और HFO ईधन कम भार कि अवस्था में फ्लेम स्टेबलाईझेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रस्तावित 2×600 मेगावाट बिजली संयंत्र के लिए फ्लाई एश फर्नेस ऑईल की आवश्यकता प्रतिवर्ष 19000 किलो लीटर होगी। इन ईधनों को रेल टैकरों या सड़क द्वारा अथवा सड़क टैकरों द्वारा लाया जाएगा।

2.6 फ्लाई एश नियंत्रण और निपटान प्रणाली

बॉटम एश का निस्कासन जल के साथ आर्द्र रूप में किया जायेगा। ESP के हाँपर से उड़ने वाली फ्लाई एश को सूखे या गीले रूप में निपटान क्षेत्र में बंद ड्रम के माध्यम से निस्काशित किया जायेगा। फ्लाई एश हैंडलिंग प्लांट की क्षमता 40-50 प्रतिशत तथा औसत सकल कैलोरी 3000 किलो कैलोरी / किलोग्राम एश घटक पर निर्धारित कि जाएगी।

प्रतिवर्ष कुल मिलाकर 30 लाख टन एश (बॉटम एश व फ्लाई एश) का उत्पादन होगा। फ्लाई एश के उपयोग की योजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुरूप की जायेगी। इस संबंध में तापीय विद्युत संयंत्र के 100 किलोमीटर के विर्निदिष्ट अर्धव्यास के भीतर, ईट निर्माण इकाईयों की स्थापना के निर्माण चरण में ही फ्लाई एश के उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके लिए लगनेवाले भूमि और एश की निर्बंध लदाई और परिवहन की व्यवस्था, प्रस्तावित संयंत्र के संचालन के दौरान की जायेगी। सीमेंट निर्माताओं को फ्लॉय एश, कच्चे माल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा आपातकालीन फ्लाई ऐशा जमा करने के लिए 'ऐशा पॉन्ड' का निर्माण किया जाएगा, जिसमें दो से तीन साल तक उत्पादित हुई फ्लाई ऐशा को जमा किया जा सके, एवं इसके लिए 200 एकड़ भूमि अंबंटित की गई है। फ्लाई ऐशा का उपयोग सड़क निर्माण और खाईयों को भरने आदि, जैसे अनुप्रयोगों की स्थापना में किया जाएगा।

3.0 पर्यावरणीय वर्णन

इस पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में आधारभूत पर्यावरणीय प्रभावों के अध्ययन के लिए आधार रेखा जैसे हवा, जल, ध्वनि, भूमि, जैविक और सामाजिक आर्थिक स्थिती का अध्ययन पूर्व मान्सून के दौरान किया गया एवं प्रभावों का पूर्वकथन आँका गया। इस अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष और रिपोर्ट की विशेषताएं नीचे प्रस्तुत कि गयी हैं।

मार्च 2010 से मई 2010 के दौरान निम्नलिखित सूक्ष्म-मौसम संबंधित मापदंड को एकत्रीत किया गया है -

- हवा की गति
- हवा की दिशा
- तापमान
- सापेक्ष आर्द्रता
- वर्षा
- वायुमंडलीय दबाव

3.1 वायु गुणवत्ता

परिवेशी वायु गुणवत्ता का परिवीक्षण पाँच स्थानों पर 10 कि.मी. के दायरे में मार्च से मई 2010 तक की अवधि के दौरान किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता के सभी परिणाम निर्दिष्ट मापदंडों की सीमा के भीतर हैं।

श्वसनीय पार्टिक्यूलेट पदार्थ औसतन 23.0 से 51.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ के बीच पाये गये हैं। घुलनशील पार्टिक्यूलेट पदार्थ औसतन 48.9 से 104.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ के बीच पाये गये हैं। नाइट्रोजन डाईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड औसतन क्रमशः 2.9 से 10.48.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ और 3.1 से 8.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ के बीच पाये गये हैं। यह देखा गया है कि, श्वसनीय पार्टिक्यूलेट पदार्थ (RSPM) घुलनशील पार्टिक्यूलेट पदार्थ (TSPM), नाइट्रोजन डाई आक्साइड (NO_x) और

सल्फर डाय ऑक्साइड (SO_2) सभी स्थानों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट सीमा से भीतर है।

3.2 ध्वनि कि गुणवत्ता

ध्वनि के स्तर के प्रस्तावित स्थल के अर्धव्यास में सात स्थानों (7) में मापा गया। वाणिज्यिक क्षेत्र में ध्वनि के स्तर लगातार 24 घंटे की अवधि तक दर्ज किए गए। वाणिज्यिक क्षेत्र में बढ़ती हुई वाणिज्यिक गतिविधि के कारण ध्वनि का स्तर, सीमा स्तर से थोड़ा अधिक पाया गया है। सभी स्थानों पर ध्वनि स्तर CPCB द्वारा अनुज्ञेय सीमा के भीतर पाया गये।

3.3 जल गुणवत्ता

अध्ययन के दौरान पृष्ठभूमि के पानी की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए, तीन जगह से सतहजल के नमूने और तीन जगह से भूमिगत जल के नमूने का अध्ययन और विश्लेषण किया गया।

- सतहजल के नमूनों का विवरण

BOD को छोड़कर SW1 और SW2 पर सतहजल के सभी परिणाम IS:2296 द्वारा निर्धारित मानकों के सीमा के भीतर पाए गए हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है की SW3 सतह के पानी की गुणवत्ता अन्य दो स्थानों की तुलना में बहतर है।

- भूजल के नमूनों का विवरण

भूजल पानी के नमूनों के विश्लेषण दर्शाते हैं कि pH GW1 में थोड़ा अधिक है। इसकी वजह है उच्च क्षारीयता और अपेक्षाकृत उच्च घुलनीय पदार्थ, GW2 और GW3 स्थानों पर पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों की सीमा के भीतर पाए गए हैं।

3.4 मिट्टी की गुणवत्ता

पृष्ठभूमि की मिट्टी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए (5) विभिन्न स्थानों की मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया था। मिट्टी के विश्लेषण रेतीले बनावट को दर्शाते हैं तथा इसमें नाइट्रोजन 63 से 160 मिलीग्राम / किग्रा और फास्फोरस 1.66 से 5.91 मिलीग्राम / किग्रा, पोटेशियम 96 से 352 मिलीग्राम / किग्रा तक पाया गया है।

3.5 भूमि का उपयोग

2001 की जनगणना के अनुसार 10 कि.मी. त्रिज्या क्षेत्र के प्रमुख भूमि उपयोग से यह ज्ञात होता है कि सिंचित भूमि क्षेत्र (54.64 प्रतिशत) असिंचित भूमि (16.42 प्रतिशत) एवं 15.62 प्रतिशत बंजर भूमि है और वन क्षेत्र केवल 1.05 प्रतिशत है।

भूमि के उपयोग, उपग्रह चित्र के अनुसार, कुल क्षेत्रफल का 44.96 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि और 27.2 प्रतिशत विरल वनस्पति को दर्शाता है।

3.6 समाजिक एवं आर्थिक स्थिति

प्रस्तावित परियोजना स्थल और अध्ययन क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक अध्ययन मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों पर आधारित 'भारत की जनगणना' के माध्यम से किया गया है।

सामाजिक एवं आर्थिक रेखा-चित्र कि मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

- अध्ययन क्षेत्र का लिंग अनुपात(975 महिला प्रति 1000 पुरुष) है।
- अध्ययन के क्षेत्र में 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता कुल मिलाकर 56.07 प्रतिशत है। जिसमें पुरुष साक्षरता 34.96 प्रतिशत है, जब कि महिला साक्षरता 21.10 प्रतिशत है।
- मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत 31.68 और सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत 10.28 है।
- आबादी के केवल 1.95 प्रतिशत लोग घरेलू उद्योग में लगे हुए हैं और बाकी 58.04 प्रतिशत गैर कार्यकर्ता, जैसे छात्र, आश्रित, सेवानिवृत्त व्यक्तिय और भिखारि आदी व्यक्ति हैं।

4.0 प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभावों और शमन के उपाय

प्रस्तावित 2×600 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र से दो अलग अलग चरणों में पर्यावरण पर प्रभाव होगा।

- निर्माण चरण के दौरान
- संचालन चरण के दौरान

4.1 निर्माण चरण के दौरान के प्रभाव

निर्माण चरण में प्रभाव छोटे पैमाने पर होगे जो कि, निर्देश मूल्यांकन की तिथि से लगभग 4 वर्ष की अवधि तक ही सीमित होगे। निर्माण चरण के प्रभाव मुख्य रूप से परियोजना के संयंत्र संरचनाओं और अन्य संबंधित उपकरणों की वजह से होंगे, परंतु वो अल्पकालिन होंगे।

इस चरण के दौरान हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए उचित पर्यावरणीय उपायों का न्यूनीकरण, निर्माण चरण के दौरान सुनिश्चित किया जाएगा।

4.2 संचालन चरण के दौरान प्रभाव

संचालन चरण के दौरान की मुख्य गतिविधीयों की वजह से पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के रूप में होने वाले संभावित परिणाम निम्नलिखित प्रकार से होंगे।

4.3 वायु प्रदूषण

प्रदूषण का मुख्य स्रोत प्रस्तावित संयंत्र के चिमनी से उत्सर्जित गैस होंगी। उपरोक्त के अलावा, ऐशा नियंत्रण और निपटान प्रणाली से उड़ने वाली ऐशा वायु प्रदूषण का अन्य स्रोत होगी। मुख्य वायु प्रदूषण घटक पार्टिक्युलेट (SPM) पदार्थ, सल्फर डाइऑक्साईड (SO_2) और नाइट्रस ऑक्साईड (NO_x) जो कि संयंत्र गतिविधियों से परिकल्पित होंगे।

SPM, SO_2 , NO_x कम करने के लिए प्रस्तावित नियंत्रण के उपाय इस प्रकार होंगे।

- पार्टिक्युलेट पदार्थ के उत्सर्जन स्तर को कम करने के लिए उच्च क्षमता के ESP का उपयोग किया जाएगा। ESP की अधिकतम क्षमता 99.9 प्रतिशत होंगी। ESP का डिज़ाइन, पर्टिक्युलेट पदार्थ के उत्सर्जन स्तर को 100 mg/NM^3 के भीतर रखेगा।
- NO_x उत्सर्जन नियंत्रण के लिए बॉयलर में विशेष रूप से डिजाइन बनार प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- बॉयलर से निकलने वाली गैसों को उच्च हवा में प्रकीर्ण मिश्रण करने के लिए और जमीनी स्तर पर सांद्रता कम करने के लिये 275 मीटर ऊंची चिमनी लगाई जायेगी।

4.4 जल प्रदूषण

आपरेशन चरण के दौरान कुलिंग टॉवर द्वारा निकला हुआ पानी, प्रस्तावित बिजली परियोजना की कई गतिविधीयों जैसे संयंत्र से प्रवाह, शौचालय का पानी और ऐश पॉन्ड से बहने वाला पानी का प्रभाव पर्यावरण पर होगा।

शमन के उपाय

- परियोजना से निकलने वाला गरम पानी, क्लोस साईकल कूलिंग सिस्टम से होकर निकलेगा जिससे कोई थर्मल प्रदूषण नहीं होगा।
- परियोजना से निकलने वाले दूषित जल शुद्धीकरण कर के Central Monitoring Basin (CMB) में लाया जाएगा, जो एक समकारी चैम्बर के माध्यम रूप में कार्य करेगा। एवं शुद्ध किया जायेगा शुद्ध पानी को वापस परियोजना के इस्तमाल में लाया जायेगा।
- टाऊनशिप से निकलने वाला शौचालय का पानी मुख्य मलजल संयंत्र उपचार प्लांट (STP) और एसटीपी में शुद्ध किया हुआ पानी पेड पौधों में इस्तमाल किया जायेगा।

4.5 ऐश निपटान के प्रभाव

सहि तरीके से निर्वाहन नहीं होने पर, ऐश निपटान के प्रभाव बहु आयामी हो सकते हैं। 200 एकड़ का क्षेत्र ऐश के निपटान के लिए निर्धारित किया गया है। ऐश पॉन्ड में ऐश निपटान करने से यह भूमि बंजर भूमि में बदल जाएगी। एवं आसपास के क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। भूमि के अलावा, धातुओं के रिसाव से भूजल की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ने की संभावनाएं हैं।

शमन के उपाय

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधिसूचना नवम्बर 2008 को महेनजर रखते फ्लाई ऐश को सीमेंट उद्योग, ईट भट्टों और अन्य निचले उद्योग कर्ताओं के लिए उपलब्ध किया जाएगा। साथ में चार साल में फ्लाई ऐश का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

- परियोजना से एकत्रित शुष्क फ्लाई ऐश को ट्रॉको में भरकर सीमेंट कारखानों में सीमेंट बनाने के लिए तथा ईट निर्माण इकाइयों में भेजा जाएगा।
- यह सुनिश्चित किया जाएगा की रन ऑफ और जमीन में रिसने वाला पानी जमीनी निकायों या भूमि के आसपास के सतह भू जल को प्रभावित न कर सके। प्रस्तावित ऐश पॉन्ड आपात्कालीन स्थिती में ही उपयोग में लाया जाएगा। हालांकि ऐश पॉन्ड बांध के निचले हिस्से में उपयुक्त HDPE का अवरण लगाया जाएगा। जिससे पानी का निर्धारन जमीन में नहीं होगा।

4.6 ध्वनि प्रदूषण

प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र में विभिन्न ध्वनि स्रोत जैसे टर्बाइन जनरेटर, बॉयलर, कोयला भंडार, पंप, पंखा आदि होंगे।

प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र में काम करनेवाले श्रमिकों का अल्पावधि के लिए उच्च शोर के संपर्क में आने की संभावना है। इस अवधि में यदि इन कर्मचारियों की उचित देखभाल नहीं कि गयी तो उनकी सुनने की शक्ति पर बुरे परिणाम हो सकते हैं।

प्रस्तावित संयंत्र से परिवेश ध्वनि पर प्रत्याशित प्रभावों का आकलन करने के लिए ध्वनि मॉडल (Dhwani) इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि स्तर मॉडलिंग के परिणाम से यह ज्ञात होता है कि संयंत्र की सीमा के बाहर 38.9 dB(A) तक ध्वनि का स्तर होगा। इस प्रकार ध्वनि के प्रभाव संयंत्र के भीतर सीमीत होंगे।

शमन के उपाय

- जनरेटर टर्बाइनों के ध्वनि को कम करने के लिए ध्वनि कम करने वाले यंत्र का प्रावधान।
- श्रमिकों के लिए सुरक्षात्मक ईअर प्लग उपकरण अनिवार्य होंगे।
- मशिनरी ध्वनि स्रोत निकास पर इन्सुलेटिंग कवर का प्रावधान होगा।
- काम्प्रेसर, जनरेटर आदि के कुछ भागों को पतली रबर शीट में लपेटा जाएगा।

- प्रभाव को कम करने के लिए अवशोषित तकनीक का उपयोग किया जायेगा।
- आपरेशन के दौरान संयंत्र के चारों ओर हरितपट्टी का विकास किया जायेगा जिससे कि ध्वनि, प्रस्तावित संयंत्र की सीमित सीमा के अंदर रहे।

4.7 सामाजिक एवं आर्थिक पहलु

- इस क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितीयों में काफी सुधार होगा।
- स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगे और आय सृजन की वजह से लोग लाभान्वित होंगे।
- अध्ययन क्षेत्र कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होने की संभावना है। कई निजी स्वास्थ्य केंद्रों के खुलने से क्षेत्र के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है।
- प्रस्तावित बिजली संयंत्र स्थानिक वासियों को रोजगार प्रदान करेगा और अन्य सेवाओं/व्यापार में लगे लोगों को अपरोक्ष रूप से आजीविका प्रदान करेगा।
- शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे साक्षरता दर में सुधार होगा।

5.0 विकल्पों का विश्लेषण

- तकनीकी व आर्थिक विश्लेषण और पर्यावरण अध्ययन के आधार पर चार वैकल्पिक स्थानों का निरीक्षण किया गया। संबंधित क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर सबसे उपयुक्त स्थल का चयन किया है। गौड़, जिला जांजगीर-चंपा छत्तीसगढ़ की परियोजना स्थल निम्नलिखीत वजहों से सबसे उपयुक्त है।
- प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र से प्रमुख कोयला खान / भांडार 70 कि.मी. पर स्थित है।
- महानदी में पर्याप्त पानी साल भर के लिए उपलब्ध है।

- बिजली की निकासी प्रणाली के लिए 400 केवी लाइन का प्रस्ताव है जो कि पीजीसीआईएल के आगामी 400 केवी संयंत्र स्थल चंपा के पास निर्धारित है।
- परियोजना स्थल पर पेड़ बहुत ही कम है, इसलिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता नहीं पड़ेंगी।
- प्रस्तावित विद्युत संयंत्र से रेलवे लाइन की दूरी करीब 10 किलो मीटर है। इसलिए केवल कम दूरी की समर्पित रेलवे लाइन कोयला परिवहन के लिए आवश्यक होगी।
- प्रस्तावित विद्युत संयंत्र सुस्थापित सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है।

6.0 पर्यावरण नियंत्रण कार्यक्रम

नियंत्रण के लिए विभिन्न पर्यावरणीय मानदंडों का निरक्षण आवश्यक है जो कि पर्यावरण संरक्षण के उपायों का अभिन्न अंग है। प्रभावी कार्यान्वयन और मध्यावधि सुधारात्मक उपाय, नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आवश्यक है। पर्यावरण प्रबंधन की व्यापकता में वायु गुणवत्ता, जल और अपशिष्ट जल गुणवत्ता, ध्वनि, मिट्टी की विशेषताओं, और परिस्थिति भी शामिल है। निरक्षण के रूप में महत्वपूर्ण प्रदूषण नियंत्रण उपायों की क्षमता केवल निरक्षण के द्वारा निर्धारित कि जा सकती है। एक व्यापक निरक्षण कार्यक्रम का सुझाव EIA रिपोर्ट में दिया है।

7.0 पर्यावरण प्रबंधन योजना

प्रस्तावित बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन चरण के दौरान किसी भी प्रतिकूल प्रभाव की समीक्षा करने के लिए, पर्यावरण प्रबंधन योजना सुनिश्चित कि गयी है।

स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श कर सबसे अच्छी तकनीकों को व प्रक्रियाओं के सकारात्मक परिणामों के आधार पर, पर्यावरण प्रबंधन योजना में सतत सुधार किये जायेंगे।

निर्माण और विकास चरण के दौरान पुरक पर्यावरण प्रबंधन योजना जो कि आदर्श रिति से पर्यावरण संबंधित गतिविधीयों को उपायों को और कार्यक्रमों को पूरा करेगी। जिसमें निम्नलिखित उपाय कार्यान्वित होंगे।

- अ. शमन और प्रबंधन के उपाय
- ब. पर्यावरण नियंत्रण कार्यक्रम
- क. सामाजिक विकास कार्यक्रम
- ड. आपातकालीन योजना
- इ. पर्यावरण संगठन

8.0 कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी

प्रस्तावित ताप बिजली संयंत्र से परियोजना क्षेत्र के परिवेश के आर्थिक, सामाजिक और अधिकारिक संरचना के विकास को बढ़ावा मिलेगा। CPVPL निधि निर्माण रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी की आपूर्ति और मूल संरचना विकास के समर्थन में जिम्मेदारी लेने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिये कुल 4.65 करोड़ रुपयों का आबंटन योजना के प्राथमिक स्तर पर किया जाएगा।

लोगों के विकास के लिए जांजगीर - चंपा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ राज्य में यह कंपनी समग्र प्रयास करेगी।

9.0 निष्कर्ष

पूर्वानुमानीत ऊर्जा की कमी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित परियोजना अपरिहार्य है। इस परियोजना से सामाजिक पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय निवासियों को नौकरी और व्यापार के पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। इस प्रकार, प्रस्तावित परियोजना सामाजिक, आर्थिक विकास को त्वरित करेगी, तथा जीवन स्तर में सुधार होगा।

इस पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन व रिपोर्ट में दिये हुए प्रस्तावित 2×600 मेगावाट बिजली संयंत्रों निर्माण और संचालन के सभी संबंधित प्रभावों को कम करने के उपायों को CPVPL लागू करेंगी।

अतः इस परियोजना के लाभ और अनुकूल परिस्थितीयों को देखते हुए यह संक्षेप में कहा जा सकता है कि परियोजना स्थानीक क्षेत्र और देश के लिए एक सकारात्मक योगदान होगी।